RajCOMP Info Services Ltd.
Letter RR No. 5876
Date 3-3-14

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

कमांक :– प. 18(1)साप्र/2/14 जयपुर, दिनांक 26 FEB 2014

–: आदेश :–

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम् श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार/मांग के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते है :–

कं सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति
1	137/2006	श्री पृथ्वीराज मीणा वरिष्ठ लिपिक उप निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	5/60, गांधीनगर	31.1.2027
2	140/2006	श्री कृष्ण कुमार मीणा कनिष्ठ लिपिक कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर	5/74, गांधीनगर	31.7.2032
3	4/2007	श्री राजेन्द्र कुमार मीणा, सहायक रेडियोग्राफर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	5/121, गांधीनगर	31.07.2034
4	5/2007	श्री मंगल चन्द्र शर्मा कनिष्ठ लिपिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ड्रिलिंग उपखण्ड–तृतीय, पानीपेच, झोटवाड़ा रोड, जयपुर	5–ए–21, गांधीनगर बहुमंजिला	31.12.2020
5	36/2007	श्री सुभाष कुमार सक्सेना कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क–3/वाद) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	5/185, (पुराना नम्बर जी–955), गांधीनगर	31.12.2020
6	20/2009	श्री सन्नी बैरवा कनिष्ठ लिपिक निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	GAD-V-T-1/B-103, विद्याधर नगर (GAD-V-T-1/77, विद्याधर नगर से परिवर्तन)	31.8.2043
7	81/2010	श्री कपिल मधुकर कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (क–3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5–डी–5, गांधीनगर बहुमंजिला (5/115, गांधीनगर से परिवर्तन)	30.9.2046
8	92/2011	श्री जयप्रकाश शर्मा कनिष्ठ लिपिक प्रशासनिक सुधार (आर.टी.आई.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	GAD-V-T-1/72, विद्याधर नगर	31.10.2038
9	97/2011	श्री कपिल कुमार शर्मा कनिष्ठ लिपिक विधि शाखा, जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर	GAD-V-T-1/100, विद्याधर नगर	31.12.2050
10	122/2011	श्री डेनियल जाजफ विलियम कनिष्ठ लिपिक संभागीय आयुक्त, जयपुर	GAD-V-T-1/49, विद्याधर नगर	31.5.2038
11	3/2012	श्री भगवती प्रसाद शर्मा कनिष्ठ लिपिक निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर	GAD-V-T-1/149, विद्याधर नगर	30.6.2028

शर्ते :–

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
10. क्रम संख्या 4 व 7 पर अंकित आवंटियों से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd/-

(राजेन्द्र प्रसाद खोरानिया)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उप निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर।
9. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. सहायक प्रोग्रामर, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
17. क्रम संख्या 6 व 7 अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
18. सम्बन्धित कर्मचारीगण
19. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव